नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11-7-19 वकील प्रार्थी उप०। बहस पुनः सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31-7-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी 31-7-19 वकील प्रार्थी उप०। प्रा० पत्र 136 L.R. Act स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
156/2018	29.6.2018	31.7.2019

केदार पुत्र जीवा, रैगर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी केदार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 789 रकबा 1.34 है0, ख0नं0 790 रकबा 0.94 है0 ग्राम सलेमपुर में स्थित है। प्रार्थी का नाम केदार पुत्र जीवा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम हाल जमाबंदी में हरजी पुत्र जीवा अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम अन्य समस्त सरकारी व गैरसरकारी कागजात में केदार पुत्र जीवा रैगर ही दर्ज है। प्रार्थी का नाम गलत किए जाने की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी एवं प्रार्थी का नाम गलत अंकित कर दिए जाने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। दिनांक 25.5.18 को प्रार्थी ऋण लेने के लिए जमाबंदी की नकल लेने गया तो प्रार्थी को गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि हाल ख0नं0 239 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चाह ग्राम सलेमपुर में दर्ज हरजी पुत्र जीवा की जगह केदार पुत्र जीवा अंकित कर इन्द्राज दुरूस्ती किए जाने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, फोटोकोपी पहचान पत्र प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/162 दि0 25.2.19 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या नवीन 15 पुराना 13 ग्राम सलेमपुर में प्रार्थी केदार पुत्र जीवा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि उसका नाम केदार पुत्र जीवा के स्थान पर हरजी पुत्र जीवा अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी ने केदार पुत्र जीवा के नाम का पुराना कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट में वर्णित विवरण के अनुसार भू–प्रबन्ध खतौनी सं0 2039 के खाता सं0 8 के अनुसार ख0नं0 798, 799 में कजोड्या, हजारी, रामस्वरूप, हरजी पि0 जीवा के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने इस तरह का कोई विवरण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी का राजस्व अभिलेख में पूर्व में नाम केदार पुत्र जीवा था परन्तु अब उसके स्थान पर हरजी पुत्र जीवा दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अपूर्ण कथन व अपूर्ण अभिलेख के आधार पर प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: